

2
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ

भवरलाल

बनाम

आनन्द प्रकाश

अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 39/23

तारिख हुकम

हुक्त या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

8/5/24

पत्रावली पेश हुई । अधिवक्ता वादी द्वारा प्रकरण विडो करने का प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया हमारा राजीनामा हो चुका है अतः प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं प्रकरण को जरिये विडो खारिज किया जावे।
अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण को जरिये विडो खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ (जोधपुर)

